भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवंबर, 2020

(असाधारण भाग I-खंड -1)

अधिसूचना

सरकारी स्टॉक (जी एस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(5)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020: भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक, की बिक्री **(निर्गम/पुनर्निर्गम)** अधिसूचित करती है।

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में)
3.96% सरकारी प्रतिभूति, 2022	09 नवंबर, 2020	02-00-00	09 नवंबर, 2022	मूल्य	विविध	2,000
5.15% सरकारी प्रतिभूति, 2025	09 नवंबर, 2020	05-00-00	09 नवंबर, 2025	मूल्य	विविध	11,000
नया सरकारी स्टॉक, 2030	01 दिसम्बर, 2020	10-00-00	01 दिसम्बर, 2030	लाभ	विविध	8,000
6.80% सरकारी प्रतिभूति, 2060	31 अगस्त, 2020	40-03-14	15 दिसम्बर, 2060	मूल्य	विविध	7,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के परिपेक्ष्य में 2,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी स्टॉक, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम **(अनुबंध)** के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **27 नवंबर, 2020** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **27 नवंबर, 2020** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.00 बजे** के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.30 बजे** के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में **27 नवंबर, 2020**, को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **01 दिसम्बर, 2020**, अर्थात् **निर्गम/पुनर्निर्गम** की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान

6. **मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख** से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर **सममूल्य** पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
3.96% सरकारी प्रतिभूति, 2022	3.96	नया स्टॉक	30 नवंबर, 2020	09 मई और 09 नवंबर
5.15% सरकारी प्रतिभूति, 2025	5.15	नया स्टॉक	30 नवंबर, 2020	09 मई और 09 नवंबर
नया सरकारी स्टॉक, 2030	लाभ आधारित*	नया स्टॉक	नया स्टॉक	01 जून और 01 दिसम्बर
6.80% सरकारी प्रतिभूति, 2060	6.80	नया स्टॉक	30 नवंबर, 2020	15 दिसम्बर और 15 जून

*: प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित परिपक्वता दर की कटआफ लाभ पर किया जाएगा। ब्याज का भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

23/11/20

(रजत कुमार मिश्र)

अपर सचिव, भारत सरकार